

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली -2018 के तहत निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो(2)/19061-75 /148(18)/2018-19 दिनांक 14.12.2018 एवं कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14.09.2021 के अनुसार जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड) में द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं सी.टी.ई.टी. /यू.टी.ई.टी.-I उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनक्रम रू. 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी, साथ ही एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड) डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हों तथा कक्षा -01 से 05 तक पढ़ाने के लिये उनको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 02 वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, निर्धारित अर्हतायें पूर्ण न किये जाने की दशा में सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या/21/XXVII (7)/अ.पै.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात् राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम/ज	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	जन्म तिथि	जाति	नियुक्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
01	प्रेमा लसपाल	श्री चन्द्र सिंह	ग्राम हाटथर्प डीडिहाट जनपद- पिथौरागढ़	04.11.1993	अनु.ज. जाति	रा.प्रा.वि. सिमकूना, बागेश्वर
02	श्री श्याम सिंह	श्री प्रेम सिंह	ग्राम परिहाड कोटी, कालसी जनपद-देहरादून	15.08.1989	अनु.ज. जाति	रा.प्रा.वि. सोराग, कपकोट
03	श्री जीत सिंह राना	श्री उमेद सिंह नगर	ग्राम नौसर, खटीमा जनपद- ऊधमसिंह नगर	15.06.1987	अनु.ज. जाति	रा.प्रा.वि. खलपट्टा, कपकोट
04	श्री अभिनव पन्त	श्री जी.सी.पन्त	ग्राम दरियानगर, रुद्रपुर-किच्छा जनपद-ऊधमसिंहनगर	10.01.1987	सामान्य	रा.प्रा.वि. नीडनगोला, कपकोट

(पदमेन्द्र सकलामी)  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
बागेश्वर( उत्तराखण्ड)

M.H.O  
21.9.2021

पू.सं./ प्रा.शि./सेवाएँ अराज./ 2482-97 /नियुक्ति/2021-22 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 03 जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर।
- 04 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 05 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 06 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर।
- 07 वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, बागेश्वर।
- 08 उप कोषाधिकारी, कोषागार, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, काण्डा।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, ।
- 10 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को इस आशय से प्रेषित कि नव नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उनके समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें, एवं समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर 01 प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- 11 सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका।
- 12 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
बागेश्वर( उत्तराखण्ड)।

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 एवं उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली -2018 के तहत निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो(2)/19061-75 /148(18)/2018-19 दिनांक 14.12.2018 एवं कार्यालय पत्रांक/प्रा.शि.-दो(2)/419(II)-2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14.09.2021 के अनुसार जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड./बी.टी.सी. एवं सी.टी.ई.टी./यू.टी.ई.टी.-1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 06 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनकम रु. 35400-112400 लेवल-06 के पद पर 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 903/2019 एवं रिट याचिका संख्या-350/एस.एस./2021 नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी। नव नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है, किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या/21/XXVII (7)/अ.पै.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात् राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

क. सं.	अभ्यर्थी का नाम /जन्मतिथि	पिता का नाम	अभ्यर्थी का पता	जन्म तिथि	जाति	नियुक्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री भुवन सिंह	श्री शान्ति दल	ग्राम रामपुर चौखुटिया जनपद- अल्मोड़ा	15.03.1987	सामान्य	रा.प्रा.वि. कुंवारी, कपकोट
02	लता पाण्डे	श्री हेम चन्द्र पन्त	ग्राम हीराडुगरी जनपद- अल्मोड़ा	10.06.1989	सामान्य	रा.प्रा.वि. ओखलीसिरीद नवीन, बागेश्वर
03	गीता	श्री नारायण सिंह	ग्राम छांगण पो. बहुली जनपद- बागेश्वर	10.06.1987	अनु.ज. जा.	रा.प्रा.वि. सन, बागेश्वर
04	श्री आदेश कुमार	श्री छज्जू सिंह	ग्राम आसपुर, जसपुर ऊधमसिंह नगर	06.05.1971	सामान्य (मू.पू.सै.)	रा.प्रा.वि. समडर, कपकोट
05	श्री विपिन चन्द्र	श्री रमेश चन्द्र	ग्राम लमकुण्डी थराली जनपद- चमोली	02.02.1980	सामान्य	रा.प्रा.वि. किलपारा, कपकोट
06	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री दुर्गा सिंह	ग्राम गुन्टी नामतीचेताबगड़, जनपद- बागेश्वर	01.06.1987	सामान्य	रा.प्रा.वि. कापड़ी, कपकोट
07	गीता नेगी	श्री भूपाल सिंह	जोशीमठ जनपद- चमोली	01.05.1989	सामान्य	रा.प्रा.वि. घटकनेला, गरुड़
08	ज्योति राणा	श्री विरेन्द्र सिंह राणा	ग्राम डांगमल्ला काफलपानी जनपद-टिहरी गढ़वाल	08.11.1992	अ.पि.व.	रा.प्रा.वि. कोठो, गरुड़
09	श्री राजीव कुमार	श्री गोपाली सिंह	ग्राम बाबरखेड़ा (श्यामनगर) जसपुर जनपद- ऊधमसिंह नगर	04.07.1986	अनु. जाति	रा.प्रा.वि. कुंवारी, कपकोट
10	श्री प्यार दत्त	श्री गुलाब सिंह	ग्राम गबेला पो. दसऊ चकराता जनपद- देहरादून	15.03.1990	अनु.ज. जा.	रा.प्रा.वि. सोराग, कपकोट

(पदमेन्द्र सकलानी)  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा,  
बागेश्वर( उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./ प्रा.शि./सेवाएँ अराज./ 2498-2513 /नियुक्ति/2021-22 दिनांक उक्तवत्  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



- 01 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 02 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 03 जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर।
- 04 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 05 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
- 06 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागेश्वर।
- 07 वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, बागेश्वर।
- 08 उप कोषाधिकारी, कोषागार, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, काण्डा।
- 09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट।
- 10 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक को इस आशय से प्रेषित कि नव नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके स्वस्थता प्रमाण पत्र एवं 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा उनके समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की जाँच कर लें, एवं समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति प्राप्त कर
- 01 प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- 11 सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका।
- 12 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा,  
बागेश्वर( उत्तराखण्ड)।